GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, CHHINDWARA (M.P.)

FINAL LIST OF SELECTED CANDIDATES

ASSOCIATE PROFESSORS

(March – April 2018)

S. NO:	NAME OF CANDIDATE	SUBJECT	CATEGORY
1.	Dr. Amol Durgkar	Anatomy	UR
2.	Dr. Nitin Balchandra Gosewade	Physiology	UR
3.	Dr. Sudhakar Petkar	Biochemistry	UR
4.	Dr. Sonali B. Rade	Pharmacology	UR
5.	Dr. Sarika More	Pathology	UR
6.	Dr. Purti C. Tripathi	Microbiology	UR
7.	Dr. Sandeep Bhowate	Forensic Medicine	UR
8.	Dr. Keerti Sopanrao Jogand	P.S.M	UR
9.	Dr. Jitendra P. Bhagat	General Medicine	UR
10.	Dr. Bhupendra K. Jain	T.B. & Chest	UR
11.	Dr. Sudhanshu Sharma	Skin & V.D.	UR
12.	Dr. Rajkishor Singh	General Surgery	UR
13.	Dr. Shailendra Saiyan	Orthopaedics	ST
14.	Dr. Raghavendra Singh Gaur	E.N.T	UR
15.	Dr. Shiping Jain	Radiodiagnosis	UR

5-6-18

Dean
Govt. Medical College,
Chhindwara, (M.P.)

प्रभारी अधिष्ठाता
चिकित्सा महाविद्यालय
(म.प्र.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक 404 / शा चि महा / छिंदवाडा / 2018 जबलपुर दिनांक 5/4/2018

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र एफ 2–53 / 2017 / 1 / 55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार साक्षात्कार उपरांत निम्नानुसार सह प्राध्यापकों का चयन किया जाता है। पदों पर चयनित किए जाने के फलस्वरूप सह प्राध्यापकों को सूची अनुसार उनके नाम के आगे उल्लेखित विभाग में अंतिम रूप से पदस्थ किया जाकर वेतनमान 37400–67000+9000 ग्रेड पे प्रतिमाह एवं समय–समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी अदेश तक नियुक्त किया जाता है।

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अधीन दिये जावेंगे।

कमांक	विभाग	चयनित सह प्राध्यापक	श्रेणी
1	एनाटॉमी	डॉ अमोल दुर्गकर	अनारक्षित
2	फिजियोलॉजी	डॉ नितिन बी. गोसेवाडे	अनारक्षित
3	बायोकेमिस्ट्री	डॉ सुधाकर पेटकर	अनारक्षित
4	फार्माकोलॉजी	डॉ सोनाली बी. राडे	अनारक्षित
5	पैथोलॉजी एवं ब्लड बैंक	डॉ सारिका मोरे	अनारक्षित
6	माईक्रोबायलॉजी	डॉ पूर्ति सी. त्रिपाठी	अनारक्षित
7	फोरेंसिक मेडिसन	डॉ संदीप भोवाटे	अनारक्षित
8	कम्युनिटी मेडिसन	डॉ कीर्ति एस. जोगांड	अनारक्षित
9	जनरल मेडिसन	डॉ जितेन्द्र पी. भगत	अनारक्षित
10	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	डॉ भूपेन्द्र कुमार जैन	अनारक्षित
11	स्किन व्ही डी एण्ड लेप्रोसी	डॉ सुधांशु शर्मा	अनारक्षित
12	जनरल सर्जरी	डॉ राजकिशोर सिंह	अनारक्षित
13	ऑर्थोपेडिक्स	डॉ शैलेन्द्र कुमार सैयाम	अनारक्षित
14	ई0एन0टी0	डॉ राघवेन्द्र सिंह गौर	अनारक्षित
15	रेडियोडायग्नोसिस	डॉ शिपिंग जैन	अनरक्षित

उपरोक्त नियुक्तियॉ स्वशासी भर्ती नियमों की निम्नानुसार शर्तो के अधीन होगी :

1. चयनित सह प्राध्यापको को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित अथवा शासन द्वारा निर्धारित संभागीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
2. चयनित सह प्राध्यापकों की सेवायें किसी भी समय अधिष्ठाता स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाये देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टाम्पित पत्र बाड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 3 माह के वेतनमान के बराबर की राशि इस स्वशासी महाविद्यालय को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

Scanned by CamScanner

चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
चयनित सह प्राध्यापकों की नियुक्ति 01 वर्ष कालावधि की परीवीक्षा पर होगी।

5. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्टता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
6. इस नियुक्ति मे अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला के पदो के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमणित करवा कर उपस्थिति दिनांक को संस्था में जमा करना होगा
9. संलग्न अनुप्रमाणन पत्र को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था मे जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।
11. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
12. प्रायवेट प्रेक्टिस करने या न करने वावत् विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी परीक्षा में अवैध रूप से चयन से संबंधित प्रकरण में किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा। इसके पश्चात् ही वेतन आहरण होगा। इसके पश्चात भी यदि चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी में अवैध रूप से चयन से संबंधित किसी प्रकरण में संलिप्त/दोषी पाए जाते हैं तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, चयनित सह प्राध्यापक को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके पश्चात उनका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र)

क्रमांक 404 /शा वि महा/छिंदवाडा/2018 — जबलपुर दिनांक 5/4/2018

<u>प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –</u>

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
5. स्थानीय लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा।
6. संबंधित सह प्राध्यापक.. को अपनी उपस्थिति अधिष्ठाता कार्यालय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा/सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा में प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र)

Scanned by CamScanner